

फर्द अहकाम


श्रीमोकरण बनाम कु-57

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फार्मी  
केस संख्या- 89/2025

आज्ञा विस्तृत रूप से

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | विवरण  |
|----------|---------------------------|--|
|          | 19/9/25                   | आज यह पत्रावली मूलपाठ के साथ विद्वा. पत्र पेश करने पर पेश हुई मूलपाठ को पढ़ी से विद्वा करवा लिया है शामिल पत्र अध्यापक विद्वाकरा के निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई औचित्य शेष नहीं है अतः पत्र अध्यापक निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली कुल्ल शुभा होकर दर्ज नं. सं. 57 है। दारिबल दलत रहे। |

20.11  
19/9/25

  
उपखण्ड अधिकारी  
फार्मी